राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2019/आर–1647 जयपुर, दिनांक : 09.05.2019

आदेश

मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट नम्बर 6452/2019 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 की पालना में डा. रामजीलाल मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) द्वारा विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। डा. मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए विभाग के आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 447 के द्वारा डा. रामजीलाल मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) का पदस्थापन ट्रोमा सेन्टर, सिकन्दरा, दौसा में किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. मीणा का पदस्थापन मोबाईल सर्जिकल यूनिट, जयपुर में रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

उक्त आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.3(1)(7)I/निर्वा./2019/5863 दिनांक 07.05.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/एमएसयू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सेल
10. निजी /रक्षित पत्रावली

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव